समक्ष मान्नीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विटवा तनय सुखईया चमार
निवासी रेवना तह0 गौरिहार
जिला–छतरपुर(म0प्र0) ....आवेदक

R 490-II/07

//बनाम//

1. कल्ला तनय प्ररगवा चमार
2. श्यामलाल तनय प्ररगवा चमार
3. रज्जू तनय प्ररगवा चमार
4. हरदास तनय सुखंईया चमार
5. छोटी बेवा प्ररगवा चमार
सभी निवासी रेवना तह0 गौरिहार
जिला–छतरपुर (म0प्र0) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 458/अ/27/2005–06 में पारित आदेश दिनाँक 14.03.07 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि आराजी नंबर 50, 277, 1125, 1126, 1128, 1150, 1153, 1189/8, 1468, 1489, 1497,1506, 1770, रकवा कमशः 0.526 हे0, 0.510 हे0, 0.413 हे0, 0.154 हे0, 1.181 हे0, 0.713 हे0, 2.047 हे0, 0. 219 हे0, 0.380 हे0, 0.324 हे0, 0.429 हे0, 0.559 हे0, 0.097 हे0, कुल किता 13,कुल रकवा 7.553 हे0, लगानी 40.08 रूपया स्थित मौजा रेवना तहसील गौरिहार की भूमि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जो एक मात्र राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता सुखईयां के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। और सुखईयां के 2 लड़के आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 है जो उसके प्रथम श्रेणी

क्रमशः.......2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 490–दो/07 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमाक 458/अ–27/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14–3–07 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक विटवा एवं हरदास द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में ग्राम स्थित भूमि किता 13 रकबा 7.553 एकड़ के बटवारा हेतु आवेदन दिया गया । दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–5–2004 द्वारा बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील पेश की गई जो उन्होंने समय सीमा बाह्य होने के कारण निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त ने निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में तर्कों के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में बटवारा किए जाने हेतु आवेदन दिया था जिसमें सहमति के आधार पर बटवारा किये जाने की प्रार्थना की गई है । नायब तहसीलदार ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर बटवारा आदेश दिनांक 31–5–04 को पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य मानकर खारिज की है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में विद्वान आयुक्त ने यह पाया है कि तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा स्वयं आवेदन प्रस्तुत किया जाना बाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपील प्रस्तुत किया जाना आवेदक की असत्यता एवं बदनीयति का परिचायक है और उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त किया है । आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष की पुष्टि अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	